



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर
(Phone : 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Helpline 9928900900)
E mail: rj-slsa@nic.in, rlsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in

कमांक : एफ-2()/रालसा/प्रो-बोनो/DS-I/ 10

दिनांक:- 09/01/2024

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 के विनियम 7 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क सेवाएं देने हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर हेतु प्रो-बोनो अधिवक्तागण के पैनल का गठन इस कार्यालय के आदेश कमांक 398 दिनांक 22.07.2022, 07 दिनांक 03.01.2023, 56 दिनांक 21.01.2023, 325 दिनांक 02.06.2023 व 472 दिनांक 31.08.2023 से किया गया था।

निर्देशानुसार, उक्त आदेशों की निरंतरता में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला हेतु प्रो-बोनो अधिवक्तागण को निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-


1.	Mr. Kinshuk Jain	R/1433/2006	RHCLSC, Jaipur
2.	Mr. Manmohan Kumar Nagpal	R/1190/1999	RHCLSC, Jaipur
3.	Mr. Shantanu Jugawat	R/2755/2010	RHCLSC, Jaipur
4.	Mr. Khizer Iqbal Khan	R/629/2010	RHCLSC, Jaipur
5.	Mr. Ganesh Narayan Mali	R/2052/2010	RHCLSC, Jaipur
6.	Mr. Sweta Pareek	R/1232/2006	RHCLSC, Jaipur
7.	Ms. Poonam Mishra	R/4083/2010	RHCLSC, Jaipur
8.	Mr. Umesh Dixit	R/637/2016	RHCLSC, Jaipur
9.	Ms. Mudita Sharma	R/795/2015	RHCLSC, Jaipur
10.	Mr. Rajendra Kumar Sharma	R/549/1979	RHCLSC, Jaipur
11.	Ms. Aashima Mathur	R/257/2018	RHCLSC, Jaipur
12.	Sh. Ganesh Dutt Gautam	R/232/2016	RHCLSC, Jaipur
13.	Ms. Khushboo Kothari	R/4108/2018	RHCLSC, Jaipur
14.	Mr. Sukharam Bishnoi	R/381/1984	DLSA, Jodhpur District

प्रो-बोनो अधिवक्तागण की सूची राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट <http://www.rlsa.gov.in/> पर अपलोड कर दी गई है।

उपरोक्त प्रो-बोनो अधिवक्तागण का पैनल निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करेगा:-

1. प्रो-बोनो पैनल की सेवाएं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Guidelines for institutionalising Pro-Bono Legal Services 2019) में दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन रहेंगी।
2. प्रो-बोनो पैनल का गठन 22 जुलाई, 2025 तक के लिए किया गया है। यह अवधि समाप्त होने पर प्रो-बोनो अधिवक्तागण द्वारा दी गई सहमति को ध्यान में रखते हुए पैनल का पुनर्विलोकन किया जाएगा।
3. प्रो-बोनो अधिवक्ता द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप में दिनांक 31.01.2023 तक अण्डरटेकिंग दिया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा पैनल से नाम पृथक कर दिया जा सकेगा।

आज्ञा से


(प्रमिल कुमर माथुर)


सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

कमांक:- एफ-2()/रालसा/प्रो-बोनो/DS-I/20214-225 दिनांक:- 09.01.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं मुख्य-संरक्षक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
7. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला।
8. नोडल अधिकारी वेबसाइट
9. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
10. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली।


09/01/2024
(स्मृति राव)
उप सचिव-प्रथम
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर